

राजपुर उपखण्ड अधिकांश एवं पटन सहायक कलक्टर राशमी

राजपुर अधिकांश केस कोर्ट) केस :- भारत निर्माण राशमी एवं केस केस

प्रशासन गार्ड के संज्ञा
अभिप्राय-2021

--: आदेश :-

पुं० सं० :- ०४०४ / २०२१

पुं० सं० के "राजपुर इन्फ्रा" के आदेश पत्र एवं निर्देश पत्रों पर
०४०४/२०२१, ०४०४/२०२१ एवं ०४०४/२०२१ के निर्देश
वत्त। तदनुसार राशमी की राजस्व अर्थात् के आधार पर राजस्थान में
राजपुर अधिकांश 1956 की धारा 136 के अन्वयेण में गौना
राजपुर अधिकांश व निर्माण विनियमन की जाभाबती सवत 2021
के खाना संख्या 6.6.2 में वर्तमान में दर्ज प्रारि
को विनाहिनित रूप से शिख किया जाकर राजस्व रिकार्ड में आमल रजाम
किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

क. सं.	गौना	खाना संख्या	वर्तमान प्रारि (अशुद्ध प्रारि)	शिख प्रारि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है
१.	११/११/११	०११	११/११/११	११/११/११

कमांक: सशिरा/5-11(684)2021
पुं० सं० :- ०४०४/२०२१
कमांक: सशिरा/5-11(684)2021
पुं० सं० :- ०४०४/२०२१

राजपुर
(उपखण्ड अधिकांश)
सहायक कलक्टर

राजपुर
(उपखण्ड अधिकांश)
सहायक कलक्टर

